

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत शिवपुर में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर एवं पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ,88,91 आर टी ए स्वीकार योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करे।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।